न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 97/12

तारीख रजू:– 08.11.2012

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. श्रीमति विमला पत्नि हरि
2. कुसुम बाई पुत्री हरि
   जाति ब्राह्मण निवासी मूंडिया तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. किशोर पुत्र मांग्या
2. बत्तीलाल पुत्र मांग्या (मृतक)
   2/1 रूकमणी पत्नि बत्तीलाल
   2/2 पवन पुत्र बत्तीलाल
   2/3 सुतिक्षण पुत्र बत्तीलाल
   2/4 राजकुमारी पुत्री बत्तीलाल पत्नि गजेन्द्र
3. रामअवतार उर्फ मुन्ना पुत्र मांग्या
4. नरसी उर्फ पिल्लू पुत्र मांग्या
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मूंडिया तहसील टोडाभीम।
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत इस्तकरारहक स्थायी निषेधाज्ञा, बटवारा

उपस्थितिः– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादी)
श्री राधा रमण शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी 1 ता 4)

निर्णय दिनांकः– 24.09.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 14 मे आराजी ख0न0 183/0.14, 184/0.12, 185/0.12, 186/0.10, 187/239/0.26, 195/237/0.47, 196/1.62, 197/0.25, 201/0.08, 202/0.07, 209/0.45, 211/0.17, 212/0.08, 213/0.59, 218/0.20, 223/0.73, 224/0.20, 227/0.37, 228/0.07, 203/0.13, खाता संख्या 13 मे ख0न0 187/4.81, 191/1.46 कुल किता 22 कुल रकवा 12.49 है0, ग्राम फौजीपुर मे तथा खाता संख्या 58 मे ख0न0 292/0.44, 491/0.07, 492/0.05, 1131/2729/0.05, कुल किता 4 कुल रकवा 0.61 ग्राम मूंडिया मे स्थित है। उक्त समस्त आराजीयात मे वादीगण हिस्सा 1/5 के खातेदार काश्तकार है, तथा बाकी हिस्से मे प्रतिवादीगण 1 ता 4 हिस्सा

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

4/5 के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात वादीगण की पैतृक भूमि है जो उनके स्व0 पति व पिता हरि पुत्र मांग्या से विरासत मे प्राप्त हुई है। हरि के एक मात्र वारिस वादीगण ही है। इनकी मृत्यु के पश्चात विरासत मे खाता संख्या 14 मे विमला के साथ कुसुम बाई पुत्री के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी है किन्तु खाता संख्या 58 व 13 मे विमला के साथ कुसुमबाई का नाम खातेदारी मे दर्ज नही हुआ है। विरासत की भूमि मे कुसुम बाई अपना नाम दर्ज कराने की अधिकार है। वादीगण अपने हिस्से 1/5 की भूमि पर हरी के समय से ही व उनकी मृत्यु के बाद काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण की नियत मे बेईमानी है। काश्त करने मे रूकावट पैदा करते है व भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है। इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

खाता संख्या 13 मे ख0न0 187/4.81, 191/1.46 कुल किता 22 कुल रकवा 12.47 है0, ग्राम फौजीपुर मे तथा खाता संख्या 58 मे ख0न0 292/0.44, 491/0.07, 492/0.05, 1131/2729/0.05, कुल किता 4 कुल रकवा 0.61 ग्राम मूंडिया मे वादीया विमला के साथ वादीया कुसुम बाई को हिस्सा 1/5 की भूमि मे हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

खाता संख्या 14 मे आराजी ख0न0 183/0.14, 184/0.12, 185/0.12, 186/0.10, 187/239/0.26, 195/237/0.47, 196/1.62, 197/0.25, 201/0.08, 202/0.07, 209/0.45, 211/0.17, 212/0.08, 213/0.59, 218/0.20, 223/0.73, 224/0.20, 227/0.37, 228/0.07, 203/0.13, खाता संख्या 13 मे ख0न0 187/4.81, 191/1.46 कुल किता 22 कुल रकवा 12.49 है0, ग्राम फौजीपुर मे तथा खाता संख्या 58 मे ख0न0 292/0.44, 491/0.07, 492/0.05, 1131/2729/0.05, कुल किता 4 कुल रकवा 0.61 ग्राम मूंडिया मे स्थित है। उक्त समस्त आराजीयात मे वादीगण हिस्सा 1/5 के खातेदार काश्तकार है। दावा प्राथमिक डिक्री फरमाकर वादीगण के हिस्सा 1/5 का खाता अलग कायम किया जावे। तथा वादीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त मे रूकावट नही करने हेतु एवं बेदखल नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 5 बावजूद सूचना उपस्थित नही इसलिए इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 4 की ओर से जरिए वकील जबाब दावा प्रस्तुत किया कि वादीयागण के पति व पिता हरी अपने जीवन काल मे ही समस्त आराजीतया मे अपना हिस्सा 1/5 प्रतिवादीगण न0 1 ता 4 को मुबलिंग छःलाख रूपये मे विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया गया। खास भाई होने के कारण

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उक्त विक्रय की कोई लिखा पढी नही करवाई। वादीया के मन मे बेईमानी आ गई है किसी दीगर व्यक्ति को बेचान करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 मौके पर काबिज है। दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया यह है कि वादपत्र के मुतजिक्रा मद न0 1 से 3 मे वादी 1/5 के खातेदार काश्तकार है। वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। विरासत मे मिली है खाता संख्या 14 मे वादी कुसुम बाई के नाम खातेदारी हो गई है लेकिन खाता संख्या 18 व 13 मे पुत्री कुसुमबाई के नाम खातेदारी नही हुई है। कुसुमबाई भी अपने नाम खातेदारी कराने की हकदार है।

   (जिम्मेवादी)

2. आया यह है कि वादपत्र मे वर्णित भूमि की बटवारा स्कीम मगवाई जाकर अलग–अलग खाता कायम कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की हकदार है।

   (जिम्मेवादी)

3. आया यह है कि वादीयागण के पति एवं पिता स्व0 हरी अपने जीवन काल मे अपने हिस्से की 1/5 भूमि प्रतिवादी न0 1 ता 4 को विक्रय कर कब्जा करागये है सम्पूर्ण भूमि के खातेदार है।

   (जिम्मे प्रतिवादी)

4. आया यह है कि छःलाख रूपये मे प्रतिवादीगण 1 ता 4 को उक्त वर्णित वाद पत्र मे हिस्सा 1/5 की भूमि भाई हरी ने विक्रय कर कब्जा करा दिया था। किन्तु खास भाई होने के कारण लिखा पढी नही कराई गई है और मौके पर हमारा कब्जा है। दावा खारिज कराने के हकदार है।

   (जिम्मे प्रतिवादी)

वादीयागण की और से वादपत्र के समर्थन मे ग्राम फौजीपुर की नकल जमाबन्दी सम्वत 2065–68 प्रदर्श–1, ग्राम मूंडिया की नकल जमाबन्दी सम्वत 2068–71 प्रदर्श–2, ग्राम फौजीपुर की नकल जमाबन्दी सम्वत 2065–68 प्रदर्श–3, प्रस्तुत की। वादीया विमला ने शपथ पत्र पेश किया व साक्ष्य जिरह कराई गई। वकील प्रतिवादीको अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर दिये गये। दिनांक 2.8.2019 को वकील प्रतिवादी द्वारा पक्षकारान द्वारा नो इंन्सट्रेक्शन करने पर प्रतिवादी गण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा वादी कुसुम बाई को खाता संख्या 58 ग्राम मूंडिया की आराजी

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

ख0न0 292/0.44, 491/0.07, 492/0.05, 1131/2729/0.05 एंव ग्राम फौजीपुर के खाता संख्या 13 मे ख0न0 187/4.81, 191/1.46 है0 भूमि मे वादीया विमला के नाम दर्ज हिस्सा 1/5 की भूमि मे वादीया कुसुमबाई को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/5 की भूमि मे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादपत्र मे वर्णित समस्त आराजीयात मे वादीगण को हिस्सा 1/5 का अलग खाता कायम कराने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त फरमाया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वर्णित आराजीयात वादीयागण की पैतृक आराजी है जिसमे वादीया विमला हिस्सा 1/5 की खातेदार काश्तकार है। ग्राम फौजीपुर की जमाबन्दी सम्वत 2065–68 के खाता संख्या 14 मे वादीयागण संयुक्त रूप से हिस्सा 1/5 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। किन्तु ग्राम मूंडिया की जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 58 एवं ग्राम फौजीपुर की जमाबन्दी सम्वत 2065–68 के खाता संख्या 13 मे वादीया कुसुमबाई का नाम दर्ज नही है। विरासत की आराजीयात मे वादीया कुसुम बाई का नाम दर्ज कराया जाना न्यायोचित है अतः वादीया कुसुम बाई को ग्राम मूंडिया की आराजी ख0न0 292/0.44, 491/0.07, 492/0.05, 1131/2729/0.05 एंव ग्राम फौजीपुर के ख0न0 187/4.81, 191/1.46 है0 मे विमला के साथ संयुक्त रूप से हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वादीयागण का दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार टोडाभीम को रू 500/– पर बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम फौजीपुर की आराजी ख0न0 183/0.14, 184/0.12, 185/0.12, 186/0.10, 187/239/0.26, 195/237/0.47, 196/1.62, 197/0.25, 201/0.08, 202/0.07, 209/0.45, 211/0.17, 212/0.08, 213/0.59, 218/0.20, 223/0.73, 224/0.20, 227/0.37, 228/0.07, 203/0.13, 187/4.81, 191/1.46 कुल किता 22 कुल रकवा 12.49 है0, ग्राम मूंडिया की आराजी ख0न0 292/0.44, 491/0.07, 492/0.05, 1131/2729/0.05, कुल किता 4 कुल रकवा 0.61 है0 मे वादीयागण का हिस्सा 1/5 का अलग खाता कायम करते हुये बटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो मे प्रस्तुत करे। प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.9.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

24/9/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. श्रीमति विमला पत्नि हरि
2. कुसुम बाई पुत्री हरि
जाति ब्राह्मण निवासी मूंडिया तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. किशोर पुत्र मांग्या
2. बत्तीलाल पुत्र मांग्या (मृतक)
2/1 रूकमणी पत्नि बत्तीलाल
2/2 पवन पुत्र बत्तीलाल
2/3 सुतिक्षण पुत्र बत्तीलाल
2/4 राजकुमारी पुत्री बत्तीलाल पत्नि गजेन्द्र
3. रामअवतार उर्फ मुन्ना पुत्र मांग्या
4. नरसी उर्फ पिल्लू पुत्र मांग्या
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मूंडिया तहसील टोडाभीम।
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा वावत इस्तकरारहक स्थायी निषेधाज्ञा, बटवारा

मु0न0 12/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट व .... मिनकानिब गुदई रूबरू.हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादीया कुसुम बाई को ग्राम मूंडिया की आराजी ख0न0 292/0.44, 491/0.07, 492/0.05, 1131/2729/0.05 एंव ग्राम फौजीपुर के ख0न0 187/4.81, 191/1.46 है0 मे विमला के साथ संयुक्त रूप से हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोडाभीम को रू 500/– पर बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम फौजीपुर की आराजी ख0न0 183/0.14, 184/0.12, 185/0.12, 186/0.10, 187/239/0.26, 195/237/0.47, 196/1.62, 197/0.25, 201/0.08, 202/0.07, 209/0.45, 211/0.17, 212/0.08, 213/0.59, 218/0.20, 223/0.73, 224/0.20, 227/0.37, 228/0.07, 203/0.13, 187/4.81, 191/1.46 कुल किता 22 कुल रकवा 12.49 है0, ग्राम मूंडिया की आराजी ख0न0 292/0.44, 491/0.07, 492/0.05, 1131/2729/0.05, कुल किता 4 कुल रकवा 0.61 है0 मे वादीयागण का हिस्सा 1/5 का अलग खाता कायम करते हुये बटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस दो प्रतियो मे प्रस्तुत करे।

निज....................मुबलिंग..........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. .अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.09.2019 को जारी की गई।

दस्तखत.......................

ओहदा.......................

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.02 12:27:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: